Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 1, January-2022, ISSN 2230-7540

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर एक अध्ययन

नवीन कुमार*

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा(उ०प्र०)

सार - यह अध्ययन भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के बहुमुखी परिदृश्य की जांच करता है। यह देश में महिलाओं की स्थिति को आकार देने वाले सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों का विश्लेषण करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों के संयोजन के माध्यम से, अध्ययन महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंच का पता लगाता है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। निष्कर्ष प्रगति और चुनौतियों दोनों को प्रकट करते हैं, जो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

खोजशब्द - सशक्तिकरण, लैंगिक

----------X----------

परिचय

पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान रूप से निष्पक्ष होना लैंगिक समानता की प्रक्रिया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, महिलाओं द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति और उपाय अक्सर सुलभ होने चाहिए, जो उन्हें पुरुषों के साथ समान खेल के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं। समता समता से आती है. पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामाजिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं, अवसरों, संसाधनों और पुरस्कारों का समान आनंद लेना लैंगिक समानता की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों में जहां लैंगिक असमानता होती है, जब निर्णय लेने और वित्तीय और सामाजिक संसाधनों तक पहुंच की बात आती है तो महिलाओं को अक्सर छोड़ दिया जाता है या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। महिलाओं का सशक्तिकरण, शक्ति असमानताओं को पहचानने और उनका निवारण करने तथा महिलाओं को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी एजेंसी की अनुमति देने पर जोर देने के साथ, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। लैंगिक समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी के जीवन में अवसरों और बदलावों तक पहुंच किसी के लिंग पर निर्भर या सीमित नहीं है। (भारत सरकार (2016)) इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष और महिलाएं बराबर हो जाएं. पुरुषों और महिलाओं को उत्पादक और प्रजनन जीवन में समान भागीदार के रूप में पूरी तरह से शामिल करने के लिए, महिलाओं को यह गारंटी देने के लिए सशक्त होना चाहिए कि निजी और सार्वजनिक स्तर पर निर्णय लेने और संसाधनों तक पहुंच अब पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती नहीं है।

सशक्तिकरण

"सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुआयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं भौतिक, मानवीय और तार्किक संपत्ति जैसे ज्ञान, सूचना, विचार और धन जैसे वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण का बेहतर हिस्सा हासिल करती हैं और धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज में निर्णय लेने पर नियंत्रण हासिल करती हैं। राष्ट्र, और सत्ता हासिल करने के लिए"

भारत सरकार की रिपोर्ट (2001:4) के अनुसार, "सशक्तीकरण का अर्थ है थोपी गई शक्तिहीनता की

www.ignited.in

स्थिति से शक्ति की स्थिति में जाना"। संयुक्त राष्ट्र (1995) ने सशक्तिकरण को ऐसे पाठ्यक्रम के रूप में वर्णित किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने जीवन पर नियंत्रण और स्वामित्व प्राप्त करती हैं। कबीर (1999) के सशक्तिकरण के विचार उन तरीकों का उल्लेख करते हैं जिनके द्वारा जिन लोगों को चयन करने की क्षमता से वंचित कर दिया गया था, वे ऐसी क्षमता प्राप्त करते हैं। सशक्तिकरण के बुनियादी नियमों को एजेंसी (किसी के लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन पर कार्य करने की क्षमता), लिंग आधारित शक्ति संरचनाओं की चेतना, आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।

विश्व बैंक के अनुसार, (2001:6), "सशक्तीकरण का तात्पर्य मुख्यतः पसंद और कार्रवाई की स्वतंत्रता के विस्तार से है। गरीब लोगों के लिए, मुख्य रूप से राज्य और बाज़ारों के संबंध में उनकी कमज़ोर आवाज़ और शक्तिहीनता के कारण वह स्वतंत्रता गंभीर रूप से कम हो जाती है। चूंकि शक्तिहीनता आधिकारिक संबंधों की प्रकृति में निहित है, गरीबी में कमी के संदर्भ में सशक्तिकरण की एक संस्थागत परिभाषा गरीब लोगों की संपत्ति और क्षमताओं के विस्तार से संबंधित है, जिसमें भाग लेने, बातचीत करने, प्रभावित करने, नियंत्रण करने और प्रभावित करने वाली जवाबदेह संस्थाओं पर पकड़ बनाने की क्षमता है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सशक्तिकरण शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को जीवन-निर्धारक निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। उन्हें लैंगिक भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर मिल सकता है, जो बदले में उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।(हिंडिन, एम (2000)
महिला सशक्तिकरण (या महिला सशक्तिकरण) को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, उन्हें तलाशने का प्रयास करना और शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना शामिल है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के माध्यम से जीवन-निर्धारक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। उनके पास लैंगिक भूमिकाओं या ऐसी अन्य भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर हो सकता है, जो उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

महिला सशक्तिकरण विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को संसाधनों, संपत्तियों और आय पर नियंत्रण रखने और उनसे लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह जोखिम प्रबंधन करने और महिलाओं की भलाई में सुधार करने की क्षमता में भी सहायता करता है। इसके परिणामस्वरूप किसी विशेष राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में तुच्छ लिंगों का समर्थन करने के दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं। जबकि अक्सर परस्पर विनिमय के रूप में उपयोग किया जाता है, लिंग सशक्तिकरण की अधिक व्यापक अवधारणा किसी भी लिंग के लोगों से संबंधित है, एक भूमिका के रूप में जैविक और लिंग के बीच अंतर पर जोर देती है।(कबीर, एन. (2005) महिला सशक्तिकरण साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं की रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता से है जिनसे पहले उन्हें वंचित रखा गया था।

लैंगिक समानता का महत्व

सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा और सतत विकास दोनों का लैंगिक समानता से गहरा संबंध है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक समानता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा समाज जहां पुरुषों और महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हों, लैंगिक समानता का अंतिम लक्ष्य है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के लिए, दोनों लिंगों को शक्ति और प्रभाव के वितरण में समान रूप से भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, रोजगार या व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता के समान अवसर होने चाहिए, शिक्षा और क्षमता तक समान पहुंच होनी चाहिए अपने स्वयं के लक्ष्यों, रुचियों और प्रतिभाओं को विकसित करना और जबरदस्ती से मुक्त होना। जनसंख्या और विकास पहल के संदर्भ में, लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगी जिससे उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके भागीदारों और परिवारों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लैंगिक समानता की उपलब्धि के साथ, विवाह की कानूनी उम्र, गर्भधारण का समय, गर्भनिरोधक का उपयोग और

www.ignited.in

अनुचित महिला व्यवहार जैसे मुद्दों पर निर्णय बदले जा सकते हैं। फिर भी, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब लैंगिक भेदभाव होता है, तो महिलाओं को अक्सर निर्णय लेने और सामाजिक और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में बाधाओं या नुकसान का सामना करना पड़ता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शक्ति असमानताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के साथ-साथ महिलाओं को अपने कर्तव्यों को संभालने में अधिक स्वतंत्रता देने पर ध्यान केंद्रित करना है।(किदवई, ए. आर 2010) इससे उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए निर्णय लेने और कार्रवाई करने को प्रोत्साहन मिलेगा। लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल यह है कि संसाधनों तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किसी व्यक्ति के लिंग पर आधारित या बाधित नहीं है। लैंगिक समानता तक पहुँचने से पुरुषों और महिलाओं दोनों को लाभ होता है। घर, कार्यस्थल और बड़े पैमाने पर समाज सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों की एक नई समझ को अधिक समान संबंधों की नींव के रूप में काम करना चाहिए। इसलिए, लिंग को पुरुषों की सामाजिक पहचान के एक घटक के रूप में पहचानना महत्वपूर्ण है। दरअसल, इस तथ्य को लगातार नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि पुरुष लक्षणों और विशेषताओं को मानक और महिला गुणों और लक्षणों को मानक पर भिन्नता के रूप में सोचना अधिक आम है। हालाँकि, लिंग का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से महसूस किया जाता है। (मिश्रा, के., तमुली, पी. (2021) पुरुष दबाव में होते हैं और उनका व्यवहार "मर्दानगी" और नेता, पति या बेटे के रूप में पुरुषों की अपेक्षाओं से संबंधित सामाजिक मानदंडों और परंपराओं से प्रभावित होता है। अक्सर, पुरुषों को महिलाओं पर डाली गई पालन-पोषण और देखभाल की जिम्मेदारियों से ऊपर परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जाता है। युवा पुरुषों के जोखिम लेने के व्यवहार को परिवार और उसके बाद स्कूल के समाजीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे अक्सर साथियों के दबाव और मीडिया की रूढ़िवादिता द्वारा प्रबलित किया जाता है। इस प्रकार पुरुषों को अपने रोजगार के लिए आवश्यक जीवनशैली के कारण अक्सर महिलाओं की तुलना में बीमारी और मृत्यु का खतरा अधिक होता है। इस प्रकार की धमकियों में नुकसान, दुर्व्यवहार और नशीली दवाओं का उपयोग शामिल है।

पुरुषों के लिए अधिक देखभाल वाली भूमिका अपनाने की संभावनाएँ होनी चाहिए क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि, बच्चों के कल्याण के साथ-साथ अपने और अपने साथियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी पुरुषों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन अधिकारों और दायित्वों को संबोधित करने के लिए पुरुषों की कठिनाइयों को आकार देने वाले अद्वितीय स्वास्थ्य मुद्दों, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को पहचानना आवश्यक है। लिंग परिप्रेक्ष्य को अपनाना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है क्योंकि यह दर्शाता है कि लिंग अंतर प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप पुरुषों को नुकसान और खर्च उठाना पड़ता है। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि लैंगिक समानता पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और मांगों के साथ-साथ वे एक-दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, दोनों को ध्यान में रखती है।

महिलाओं को सशक्त बनाना

उनके मानवाधिकारों की पुष्टि करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीब और अशिक्षित होने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। आमतौर पर चिकित्सा देखभाल, संपत्ति के स्वामित्व, ऋण, प्रशिक्षण और रोजगार तक उनकी पहुंच पुरुषों की तुलना में कम होती है। पुरुषों की तुलना में उनके राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की संभावना बहुत कम है और घरेलू हिंसा का शिकार होने की संभावना कहीं अधिक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए लैंगिक समानता समय की मांग है। महिलाओं की अपनी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने की क्षमता महिला सशक्तिकरण और समानता के लिए बिल्कुल मौलिक है।(कुमारी, पी. (2002)) जब एक महिला अपने परिवार की योजना बना सकती है, तो वह अपने शेष जीवन की भी योजना बना सकती है। जब वह स्वस्थ होगी, तो वह अधिक उत्पादक हो सकती है। और जब उसके प्रजनन अधिकारों - जिसमें उसके बच्चों की संख्या, समय और अंतर तय करने का अधिकार और प्रजनन के संबंध में भेदभाव, जबरदस्ती और हिंसा से मुक्त निर्णय लेने का अधिकार शामिल है - को बढ़ावा दिया जाता है और संरक्षित किया जाता है, तो उसे अधिक पूर्ण और समान रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। समाज।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

लैंगिक समानता एक ऐसे समाज को संदर्भित करती है जिसमें पुरुषों और महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, परिणाम, स्वतंत्रता और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। जब दोनों लिंगों को शिक्षा तक समान पहुंच और अपने-अपने लक्ष्य हासिल करने का मौका मिलता है, तो वे शक्ति और प्रभाव के वितरण में समान रूप से भाग ले सकते हैं, काम के माध्यम से या उद्यमों के निर्माण के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता के लिए समान संभावनाएं होती हैं, और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए समान अवसर होते हैं। (मोजुमदार, एम.(2020) लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है, जिसमें शक्ति असमानताओं को पहचानने और संबोधित करने और महिलाओं को अपने निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता देने पर ध्यान दिया जाए। सतत विकास और सभी के मानवाधिकारों की पूर्ण पूर्ति के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। जहां महिलाओं की स्थिति निम्न है, वहां परिवार का आकार बड़ा दिखता है, जिससे परिवारों का समृद्ध होना अधिक कठिन हो जाता है। ऐसे कार्यक्रम जो महिलाओं के शैक्षिक अवसरों, स्थिति और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जनसंख्या और वृद्धि के साथ-साथ प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के मामले में अधिक प्रभावी हैं। महिला सशक्तिकरण का पूरे परिवार के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएँ जैविक कारकों से तय नहीं होती हैं, बल्कि वे सामाजिक कारकों से तय होती हैं जो गतिशील और निंदनीय हैं। हालाँकि इन दृष्टिकोणों को संस्कृति या धर्म को शामिल करने के रूप में समझाया जा सकता है, वे स्थान के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं और पूरे समय में विकसित होते हैं।

प्रमुख मुद्दे और संबंध

प्रजनन स्वास्थ्य: जैविक और सामाजिक कारकों के कारण, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करने का अधिक जोखिम होता है। मातृ मृत्यु दर और रुग्णता अविकसित देशों में महिलाओं के बीच मृत्यु और विकलांगता के दो प्रमुख कारण हैं, हालांकि ये दोनों पूरी तरह से टाले जाने योग्य हैं। इसलिए, महिलाओं को उन संसाधनों तक पहुंच से वंचित करना भेदभावपूर्ण और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जो उन्हें अपने प्रजनन स्वास्थ्य की रक्षा करने में सक्षम बनाएंगे।

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

परंपरागत रूप से, भारत में महिलाएं अपने परिवारों के लिए प्राथमिक प्रदाता रही हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त भोजन और पर्याप्त ईंधन मिले। परिणामस्वरूप, वे पर्यावरण और इसकी आपूर्ति की सुरक्षा के साथ-साथ पोषण के बारे में अपने ज्ञान का तुरंत उपयोग करना चाहेंगे।

वित्तीय स्वतंत्रता भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीबी में रहने की संभावना अधिक है। (सिंह, के. (2015)महिलाएं नस्लीय भेदभाव का अनुभव करती हैं और अधिकांश घरों और समुदायों में अधिकांश अवैतनिक कार्य करती हैं, जो दोनों लैंगिक असमानता को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

शैक्षिक सशक्तिकरण

भारत की वयस्क निरक्षर आबादी में दो-तिहाई से अधिक महिलाएं हैं। जब महिलाओं को अधिक शिक्षा मिलती है तो शिशु मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता और महिलाओं की आर्थिक और शैक्षिक संभावनाओं तक पहुंच में सुधार होता है

राजनीतिक सशक्तिकरण

सामाजिक और कानूनी संस्थाएं अक्सर महिलाओं को बुनियादी नागरिक और मानवाधिकारों, भूमि या अन्य संसाधनों तक पहुंच या स्वामित्व, रोजगार और आय और सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में समानता की गारंटी नहीं देती हैं। (उपाध्याय, यू., जिप्सन2014) फिर भी, महिला अधिकारों की वकालत करने वालों को घरेलू हिंसा कानून को लागू करने के लिए लड़ना पड़ता है।

महिला सशक्तिकरण के कारक

जैसे-जैसे महामारी मौजूदा खाई को बढ़ाती है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कमज़ोरियाँ उजागर होती हैं और उनका शोषण किया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, अग्रणी स्वास्थ्य व्यवसायों, नर्सिंग, आउटरीच सहायता, ऑनलाइन शिक्षण, सामाजिक कार्य, प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, मीडिया और देखभाल में महिलाएं असंगत रूप से प्रभावित हैं। महामारी के कारण हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में कमज़ोरियों का पता चलने और उनका फायदा उठाने के कारण पहले से मौजूद असमानताएँ और बढ़ रही हैं। महिलाएँ सबसे

www.ignited.in

अधिक प्रभावित समूहों में से हैं, जबकि वे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, ऑनलाइन प्रशिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, मीडिया पेशेवरों और देखभाल करने वालों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

1. सामाजिक कारक

महिलाओं और लड़कियों की अवैतनिक देखभाल और गृहकार्य में अनुपातहीन हिस्सेदारी। यौन उत्पीड़न और अन्य हिंसा के बढ़ते जोखिम - भारत में घरेलू हिंसा और हमले की रिपोर्टों में वृद्धि हुई है। एक-तिहाई महिलाएँ रिपोर्ट करती हैं कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शारीरिक या यौन उत्पीड़न किया गया है जिसके साथ वे रहती हैं या पहले रह चुकी हैं। भारत में, 28.8% विवाहित महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, जो दुनिया भर के आंकड़ों और राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में समाप्त (2015-2016) एनएफएचएस -4 डेटा से पुष्टि करता है। चूंकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहले से ही मरीजों की बढ़ती आबादी और अन्य मांगों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण कमजोर हैं, इसलिए वन-स्टॉप ट्रॉमा सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और पुलिस और न्याय पहल जैसे जीवन-रक्षक और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। "घरेलू हिंसा में भयावह वैश्विक वृद्धि" के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने "संघर्ष विराम" का आह्वान किया है। 2020 में 6 अप्रैल को. अपने लिंग, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और अन्य विशेष कारकों के कारण असमानता की दोहरी या तिगुनी परतों का अनुभव करने के परिणामस्वरूप, पिरामिड के निचले भाग में रहने वाली महिलाओं पर प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, जैसे कि प्रवासी श्रमिक, एकल महिलाएं/माताएं, बुजुर्ग, विकलांग महिलाएं, एसओजीआई, आदि। खाद्य उत्पादन, वितरण और खपत पर महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप किसान खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। भोजन चक्र में गड़बड़ी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, इस कारण महिलाएं विश्व भूख की "छिपी हुई शिकार" बन गई हैं।

2. आर्थिक कारक

आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं आज भी हर मानवीय आपदा, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, में पीछे रह जाती हैं।(याउंट, के., चेओंग, 2019) इससे न केवल उनकी आजीविका कमाने की क्षमता खतरे में है, बल्कि लैंगिक वेतन अंतर और आर्थिक असमानता के अन्य रूप भी बढ़ रहे हैं। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, महिलाओं को फिर से गरीबी में धकेल दिया जाएगा। भारत में, 93% महिलाएँ कामकाजी हैं, लेकिन उनकी अधिकांश कमाई अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाले, अकुशल रोजगार से आती है जो अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा है। वे अपना रोजगार खोने वाले पहले व्यक्ति हैं, और उनके लिए सुधार का रास्ता लंबा और कठिन है क्योंकि उनके पास सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता का अभाव है।

3. स्वास्थ्य कारक

सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों के कारण, महिलाओं और लड़कियों को संकट के समय तत्काल चिकित्सा सहायता लेने की संभावना कम होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य को अधिक खतरा होता है। इस महामारी के बीच महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता आवश्यकताओं, भावनात्मक समर्थन और पीपीई के बाहर घरेलू कार्यों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में व्यवधान: संकट के समय, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए धन को अक्सर नियमित चिकित्सा देखभाल से दूर कर दिया जाता है। प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, गर्भनिरोधक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी सेवाओं में देरी से महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, शमन के तरीके बनाना महत्वपूर्ण है जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखें। अन्यथा करना लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की प्रगति को दशकों पीछे धकेलने का जोखिम उठाना है, क्योंकि कोविड19 में इन उपलब्धियों को पीछे ले जाने की क्षमता है।

निष्कर्ष

यह शोध भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में सुधार के लिए चल रही, सर्वव्यापी पहल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालाँकि शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करना बाकी है, खासकर जब बात आर्थिक सशक्तीकरण और मजबूती से स्थापित लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने की हो। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, प्रभावी विधायी उपायों,

समुदाय-आधारित पहलों और जागरूकता अभियानों को लागू करना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण की विशाल क्षमता पर जोर देती है, और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी भविष्य प्राप्त करने के लिए इस एजेंडे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

सन्दर्भ

1. भारत सरकार (2016) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान महिला पुलिस स्वयंसेवकों के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी, पृष्ठ। 1-17

2. हिंडिन, एम (2000) जिम्बाब्वे में महिलाओं की स्वायत्तता, महिलाओं की स्थिति और प्रजनन संबंधी व्यवहार। जनसंख्या अनुसंधान नीति समीक्षा, खंड 19, पृ. 255-282

3. कबीर, एन. (2005). लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। लिंग एवं विकास, 13(2), 13-24, आईएसएसएन: 1364-9221

4. किदवई, ए. आर----(संपादित करें)उच्च शिक्षा, मुद्दे और चुनौतियाँ, विवा बुक्स, 2010, नई दिल्ली),

5. कुमारी, पी. (2002)। वन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका. कानून के समसामयिक मुद्दों पर जर्नल, 2(7), 132-145। आईएसएसएन: 2455-4782

6. मिश्रा, के., तमुली, पी. (2021)। भारतीय हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में महिलाओं की भूमिका का चित्रण। सीमा अग्रवाल (सं.) में, भारतीय समाज में महिलाएँ (प्रथम संस्करण, पृ. 59-69)। भारती प्रकाशन. आईएसबीएन: 978-93-90818-75-4

7. मोजुमदार, एम.(2020)। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका. जर्नल ऑफ़ क्रिटिकल रिव्यूज़, 7(2), 1025-1029। आईएसएसएन: 2394-5125

8. सिंह, के. (2015)। प्राकृतिक संसाधनों में महिलाएँ और उनकी भूमिका: पश्चिमी हिमालय में एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च-ग्रंथालयाह,3(10), 152-161, आईएसएसएन: 2350-0530

9. उपाध्याय, यू., जिप्सन, जे., विदर्स, एम., लुईस, एस., सियाराल्डी, ई., फ्रेजर, ए., हचको। एम. और प्रता, एन (2014) महिला सशक्तिकरण और प्रजनन क्षमता: साहित्य, सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा की समीक्षा, वॉल्यूम। 115, पृ. 111-120

10. याउंट, के., चेओंग, वाई., मैक्सवेल, एल., हेकर्ट, जे., मार्टिनेज, ई. और सेमुर, जी (2019) कृषि सूचकांक में महिला सशक्तिकरण परियोजना स्तर के गुणों का मापन, विश्व विकास, वॉल्यूम। 124, पृ. 1-19

Corresponding Author

नवीन कुमार*

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा(उ०प्र०)